न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
07/2021/प्रा.पत्र/2021	21.01.2021	12.05.2022

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री पीरूलाल सैनी पुत्र श्री बख्ताराम सैनी निवासी शिवाजी नगर कम्पू टोंक जिला टोंक मैसर्स नागरा मिष्ठान भण्डार जैन नसियां के सामने देवली रोड टोंक जिला टोंक राज.
2– मैसर्स नागरा मिष्ठान भण्डार जैन नसियां के सामने देवली रोड टोंक जिला टोंक राज.

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 54 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उपस्थित।
2–अप्रार्थी श्री पीरूलाल सैनी स्वयं उपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 12.05.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.11.2020 को समय 12:15 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स नागरा मिष्ठान भण्डार जैन नसियां के सामने देवली रोड टोंक जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहॉ श्री पीरूलाल सैनी पुत्र श्री बख्ताराम सैनी मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री पीरूलाल सैनी ने स्वयं को मैसर्स नागरा मिष्ठान भण्डार जैन नसियां के सामने देवली रोड टोंक जिला टोंक राज. का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर आवेदक को खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में एल्युमिनियम की 30 ट्रे में लगभग 120 किलोग्राम **मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट्स)** रखा हुआ था, जिसे देखने पर मिलावट की शंका होने पर श्री पीरूलाल सैनी को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री पीरूलाल सैनी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

यह **मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट्स)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किए जा रहे हैं, 2 किलोग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट्स)** 2 किलोग्राम के बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को साफ एवं सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर–बराबर प्रत्येक डिब्बे में 500–500 ग्राम भरकर प्रत्येक डिब्बे में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर अच्छी तरह हिला–मिलाकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2703 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता श्री पीरूलाल सैनी तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–2703 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/4403 दिनांक 27.12.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2200/एक्ट/2020/2077 दिनांक 04.12.2020 के अनुसार विक्रेता श्री पीरूलाल सैनी से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट्स)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(i) के अनुसार **बाहयी अपद्रव्य (Extraneous Matter)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** व **बाहयी अपद्रव्य (Extraneous Matter)** स्तर का **मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट्स)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ एवं जुर्म स्वीकार किया। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मावा बर्फी**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(खोया बेस्ड स्वीट्स) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में स्तर **अवमानक (Sub-Standard)** व **बाह्यी अपद्रव्य (Extraneous Matter)** का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट्स)** नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **बाह्यी अपद्रव्य (Extraneous Matter)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री पीरूलाल सैनी पुत्र श्री बख्ताराम सैनी निवासी शिवाजी नगर कम्पू टोंक जिला टोंक मैसर्स नागरा मिष्ठान भण्डार जैन नसियां के सामने देवली रोड टोंक जिला टोंक राज. पर शास्ति रूपये 35,000 (अक्षरे पैंतीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 12.05.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक